प्रकरण संख्या 2/2022 (मु.) मदनलाल व अन्य बनाम मनोहरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रार्थीगण ने पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2021 को प्रार्थीगण की अपील स्वीकार की गयी थी, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गलत अंकित हो जाने से अपीलान्टगण द्वारा यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण का कथन है कि मौजा सिसारमा की परिशिष्ट ''क'' में वर्णित आराजी नंबर 2738, 2739, 2750, 2751 कुल किता 4 रकबा 0.2850 हैक्टर वर्तमान में 3/16 वां हिस्सा वादीगण के पिता मनोहरलाल/प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित आराजी नंबर 2752 रकबा 0.0350 हैक्टर में 1/4 हिस्सा वादीगण के पिता मनोहरलाल के नाम दर्ज है। उक्त समस्त कृषि भूमि मौरूसी होने से परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित आराजी नंबर 2752 रकबा 0.0350 हैक्टर में मनोहरलाल के 1/4 हिस्सा था, जिसमें अपीलान्ट/वादीगण प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा बनता है, किन्तु वाद प्रस्तुत करते समय सहवन से टाईपिंग की गलती से वादीगण प्रत्यके का 1/12 वां हिस्सा के बजाय 1/16 वां हिस्सा अंकित कर दिया गया, जिससे आप न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2021 में 1/12 के स्थान पर 1/16 हिस्सा अंकित हो गया, जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थीगण का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आप न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2021 में परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित आराजी नंबर 2752 में अपीलान्ट/वादीगण प्रत्येक का 1/16, 1/16 व प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के 1/16 हिस्से के बजाय अपीलान्ट/वादीगण प्रत्येक का 1/12, 1/12 व प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के 1/12 हिस्सा अंकित फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से ... /विपक्षीगण को तलब किये जाने पर विपक्षी संख्या 1 ने अपनी अनापत्ति प्र...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

कर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी अनुसार परिशिष्ट ''ख'' में अंकित विवादित आराजी नंबर 2752 में प्रत्यर्थी संख्या 1 मनोहरलाल का 1/4 हिस्सा दर्ज है और यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्टगण मनोहरलाल के पुत्र व पुत्री होकर अपीलान्टगण का भी मनोहरलाल के हिस्से में प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा बनता है। तद्नुसार हम अपीलान्ट/प्रार्थीगण का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं।

अतः अपीलान्ट/प्रार्थीगण का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित आराजी नंबर 2752 रकबा 0.0350 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट/वादीगण एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार संशोधित डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:36 IST
Reason: SelfAttested